



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234862
CG-DL-E-06042022-234862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1533]
No. 1533]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1596(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 49(अ) तारीख 04.01.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 05.01.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्याम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : गोलाघाट				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डेरगाँव	डेरगाँव	शीतल पथार हाबि	805	00	04	42
			16	00	38	40
			597	00	04	01
			452	00	04	82
			405	00	07	76
			414	00	01	61
			321	00	04	55
			297	00	10	04
			289	00	08	83
			316	00	05	08
डेरगाँव	डेरगाँव	नेघेरियल कोईवरत्त गाँव	312	00	10	04
			316	00	05	35
			317	00	09	37
			320	00	06	02
			321	00	04	01
			322	00	05	35
			323	00	03	21
			324	00	02	81
			370	00	01	34
			378	00	02	81
			379	00	02	01
			380	00	05	35
			388	00	03	61

			392	00	07	63
			393	00	07	23
			394	00	09	37
			395	00	05	35
			401	00	06	02
			377	00	03	35
डेरगाँव	मिसामारा	हाँह चोंवाकोईवरत्त गाँव	00	00	12	04
डेरगाँव	मिसामारा	कोबाल पाम	240	00	07	63
खुमताई	रंगामति	उपर टेमेरा गाँव	382	00	01	61
			109	00	82	89
खुमताई	रंगामति	मरंगियाल दैत्याल गाँव	143	00	11	75
बोकाखात	महुरा	गरिया गाँव	245	00	05	32
			30	00	09	12
बोकाखात	महुरा	दिहिंगिया गाँव	325	00	06	84

जिला : जोरहाट				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जोरहाट पश्चिम	परब्बातिया	रंगागरा गाँव	381	00	86	97

[फा.सं. एल-14014/59/2022-जीपी.-II/(ई-41996)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1596(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.49(E) dated 04.01.2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 05.01.2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the state of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Golaghat			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dergaon	Dergaon	Shital Pathar Habi	805	00	04	42
			16	00	38	40
			597	00	04	01
			452	00	04	82
			405	00	07	76
			414	00	01	61
			321	00	04	55
			297	00	10	04
			289	00	08	83
			316	00	05	08
Dergaon	Dergaon	Negheriyal Koibartta Gaon	312	00	10	04
			316	00	05	35
			317	00	09	37
			320	00	06	02
			321	00	04	01

			322	00	05	35
			323	00	03	21
			324	00	02	81
			370	00	01	34
			378	00	02	81
			379	00	02	01
			380	00	05	35
			388	00	03	61
			392	00	07	63
			393	00	07	23
			394	00	09	37
			395	00	05	35
			401	00	06	02
			377	00	03	35
Dergaon	Missamora	Hanh Chowakoibartta Gaon	00	00	12	04
Dergaon	Missamora	Kobal Pam	240	00	07	63
Khumtai	Rangamati	Opar Temera Gaon	382	00	01	61
			109	00	82	89
Khumtai	Rangamati	Marangiyal Daityal Gaon	143	00	11	75
Bokakhat	Mahura	Gariya Gaon	245	00	05	32
			30	00	09	12
Bokakhat	Mahura	Dihingiya Gaon	325	00	06	84

District : Jorhat			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jorhat West	Parbattiya	Rangagara Gaon	381	00	86	97

[F. No. L-14014/59/2022-GP-II(E-41996)]
RAKESH MISHRA, Under Secy.